अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

252/18/225 रामेश्वरी देवी बनाम जीवराज सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00252 श्री राकेश अरोड़ा श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

रामेश्वरी देवी बनाम जीवराज सिंह

30.8.19

पत्रावली पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.11.2017 को विवादित आराजी बाबत् अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा अपील में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस पेश करने के बावजूद भी नोटिस तामील नहीं हो रहे है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नहीं हो रहा हैं इसलिए अपील में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण करें।

अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर बहस अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 9.11.2017 एक पक्षीय हैं, जिसमें अप्रार्थी/अपीलांट को सुना नही गया, जबकि अप्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी पर सम्वत 2011 के पूर्व से अपीलांट के पूर्वाधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 10 व रेस्पोडेन्ट संख्या 17 काबिज काश्त रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजीयात बाबत् सम्वत 2011 में अपीलांट के पूर्वाधिकारी के नाम गलत अंकन होने का कथन वर्णित करते हुए व स्वंय को आनन्द सिंह का कब्जा होना व उसके वंशज होना वर्णित कर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्व वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 20.04.2007 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2009 को निरस्त किया जा चुका है एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पारित आदेश दिनांक 17.07.2009 को न्यायालय द्वारा स्थगित किया हुआ था। इसके बावजूद पुनः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा उन्ही आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलांट/सद्भाविक क्रेता को बिना वाद पत्र में पक्षकार सम्मिलित किये पाबंद फरमाये जाने में अवैधानिक त्रुटि कारित की है, जो निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि आदेश 39 नियम 3 जा.दी. के प्रावधानों के तहत् एक तरफा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा केवल एक माह के लिए प्रदान की जा सकती है तथा एक माह पश्चात अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा स्पष्ट कारण अंकित किये जाने होगें लेकिन आक्षेपित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक तरफा में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जवाब प्रस्तुत की जाने तक पारित कर दी, जो अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण आदेश है ऐसे अविधिक आदेश को चुनौती देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए अपील प्रस्तुती में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षमा की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतःन्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू का आदेश दिनांक 09.11.2017को निरस्त फरमावें अथवा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को ताफैसला अपील स्थगित की जावे।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम की प्रति, जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति व प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एक पक्षीय स्थगन आदेश दिये हुए करीब 03 माह हो चुके हैं और अभी तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि.(अस्थायी निषेधाज्ञा) का निस्तारण नही किया गया हैं जबकि सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 (अ) में यह कानूनी प्रावधान दिया गया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश दिया जाता है तो न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

३६

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

252/18/225 रामेश्वरी देवी बनाम ... सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2018/00252 श्री राकेश अरोड़ा श्री	

लगातार

का कर्तव्य है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था। अपीलांट जो कि विवादित आराजी का सद्भाविक क्रेता है को बिना वाद पत्र में पक्षकार सम्मिलित किये पाबंद किया गया है । चूँकि अपील अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसका निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण करना उचित समझते है।

सर्वप्रथम हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र को अभिभाषक के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। ओदश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर) 30/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर